

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/49/18...../

जबलपुर, दिनांक २१/११/१९

II-14-76/19

श्रीमती ममता कुशवाहा (यादव), जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ इंदौर को म.प्र. अवकाश नियम 17 एवं नियम 23 के अनुसार दिनांक 17.12.18 से 31.12.18 तक 15 दिन का लघुकृत अवकाश एवं म.प्र. अवकाश नियम 38 के अनुसार दिनांक 01.01.2019 से 29.06.2019 तक 180 दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति
महोदय के आदेशानुसार

सही/-

(राजेन्द्र कुमार वाणी)

रजिस्ट्रार जनरल

h


पृष्ठांकन क्रमांक C/49/19...../

जबलपुर, दिनांक २१/११/१९

II-14-76/19

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-इंदौर की ओर उनके Memo No. Leave/1955 Indore, Dated 16/10/19 के संदर्भ में श्रीमती ममता कुशवाहा, (यादव) जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट का आवेदन पत्र एवं संलग्न सहपत्र सहित वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।
संलग्न : उपरोक्तानुसार ।
2. ✓ चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
4. सहायक अवकाश, स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(प्रियदर्शनी शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

h